भारत सरकार

कृषि मंत्रालय

कृषि एवं सहकारिता विभाग

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 159

06 दिसम्‍बर, 2013 को उत्‍तरार्थ

**विषय: पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का क्रियान्वयन।**

**159. श्रीमती नाज़नीन फारुखः**

**क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) पूर्वोत्तर राज्यों में, विशेष रूप से असम में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के लक्ष्य क्या हैं;

(ख) आर के वी वाई के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजना-वार कुल कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई; और

(ग) धनराशि के पूर्ण उपयोग का ब्यौरा क्या है और योजना का अब तक क्या परिणाम निकला है?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री तारिक अनवर)**

1. से (ग) : राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का लक्ष्‍य कृषि और समवर्गी क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्‍चित करके कृषि क्षेत्र में 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्‍त करना है। इस सबंध में लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने के लिए राज्‍यों को इन क्षेत्रों में वांछित वृद्धि प्राप्‍त करने हेतु इन परियोजनाओं का चुनाव करने के लिए लचीलापन प्रदान किया गया है। इस स्‍कीम के तहत भारत सरकार द्वारा कोई राज्‍य विशिष्‍ट लक्ष्‍य निर्धारित नहीं किया गया है। पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के लिए आवंटित और निर्मुक्‍त राज्‍य-वार निधियों तथा असम सहित इन राज्‍यों द्वारा सूचित उपयोग के संबंध में एक विवरण अनुबंध पर है।

|  |
| --- |
| अनुबंधअ.प्र.सं. 159  |
| 29.11.2013 की स्‍थिति के अनुसार 2007-08 से 2013-14 के दौरान आरकेवीवाई के तहत निधियों का आवंटन, निर्मुक्‍ति और उपयोग दर्शाने वाला विवरण (रुपये करोड़ में) |
| क्र.सं. | राज्‍यों के नाम | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
| आवंटन | निर्मुक्‍ति | उपयोग | आवंटन  | निर्मुक्‍ति | उपयोग | आवंटन  | निर्मुक्‍ति | उपयोग | आवंटन | निर्मुक्‍ति | उपयोग | आवंटन | निर्मुक्‍ति | उपयोग | आवंटन | निर्मुक्‍ति | उपयोग | आवंटन | निर्मुक्‍ति | उपयोग |
| 1 | अरुणाचल प्रदेश | 2.85 | 1.90 | 1.90 | 6.88 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 15.98 | 15.98 | 39.08 | 28.95 | 28.95 | 8.26 | 10.68 | 10.68 | 40.31 | 24.94 | 24.94 | 32.30 | 16.89 | 11.55 |
| 2 | असम | 23.77 | 0.00 |   | 142.62 | 144.12 | 142.62 | 79.86 | 79.86 | 79.86 | 256.87 | 216.87 | 216.87 | 227.77 | 227.77 | 227.77 | 399.57 | 399.57 | 399.57 | 440.03 | 207.47 | 141.30 |
| 3 | मणिपुर | 1.35 | 0.00 |   | 4.14 | 0.90 | 0.90 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | 24.81 | 15.50 | 15.50 | 22.25 | 22.25 | 22.25 | 52.94 | 47.97 | 22.03 | 40.96 | 20.16 | 0.00 |
| 4 | मेघालय | 7.00 | 6.37 | 6.37 | 13.53 | 6.77 | 6.77 | 24.68 | 24.68 | 24.68 | 46.12 | 46.12 | 46.12 | 14.66 | 20.44 | 20.44 | 105.34 | 22.68 | 22.68 | 60.89 | 30.45 | 0.00 |
| 5 | मिजोरम | 1.05 | 0.00 |   | 4.29 | 0.80 | 0.80 | 4.15 | 0.00 |   | 7.49 | 3.75 | 3.75 | 34.61 | 36.63 | 30.36 | 200.91 | 184.73 | 184.73 | 132.01 | 62.41 | 42.14 |
| 6 | नागालैंड | 9.45 | 3.19 | 3.19 | 13.89 | 6.95 | 6.95 | 20.38 | 20.38 | 20.38 | 13.24 | 13.25 | 13.25 | 37.54 | 37.54 | 37.54 | 85.75 | 85.75 | 85.75 | 51.90 | 25.57 | 0.00 |
| 7 | सिक्‍किम | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 11.37 | 5.68 | 5.68 | 15.29 | 15.29 | 15.29 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 20.08 | 24.64 | 24.64 | 29.47 | 15.21 | 11.96 | 20.20 | 9.80 | 1.75 |
| 8 | त्रिपुरा | 4.69 | 4.16 | 4.16 | 34.02 | 16.08 | 16.08 | 31.28 | 31.28 | 31.28 | 116.86 | 116.48 | 116.48 | 17.99 | 25.63 | 25.63 | 56.43 | 56.43 | 56.43 | 74.28 | 34.63 | 21.74 |
| कुल | 52.93 | 18.39 | 18.39 | 230.74 | 181.30 | 179.80 | 197.60 | 193.33 | 193.33 | 511.03 | 447.48 | 447.48 | 383.16 | 405.58 | 399.31 | 970.72 | 837.28 | 808.09 | 852.57 | 407.38 | 218.48 |